<u>पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर</u>

<u>सराहनीय कार्य</u>

दिनांक 21.11.2020

1-थाना दादरी पुलिस/एसओजी टीम और लुटेरे बदमाशो की बीच मुठभेड मे मेवाती गैंग के 03 बदमाश गिरफ्तार,जिनमे 02 बदमाश गोली लगने से घायल, कब्जे से लूटा गया ट्रैक्टर आईसर व 03 अवैध तमंचे 03 खोखा कारतूस व 6 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 21.11.2020 को थाना दादरी पुलिस/एसओजी टीम और बदमाशों के बीच दादरी क्षेत्र में सिरसा के पास ग्राम मायचा पेरीफेरल रोड पर हुई मुठभेड़ में 03 बदमाश गिरफ्तार, जिनमें 02 बदमाश शाहरूख व अकील पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए है, बदमाशों के कब्जे से थाना क्षेत्र के ईट भट्टे से विगत दिनों लूटा गया ट्रैक्टर आईसर, 2 तमंचे मय कारतूस बरामद। बदमाशों के नाम शाहरुख, अकील, और इमरान है और इन पर एक दर्जन से अधिक चोरी, लूट, डकैती के मुकदमे विभिन्न थानो मे पंजीकृत हैं। मूलतः मेवात के रहने वाले हैं जो वर्तमान समय में बुलंदशहर में रह रहे है। अभियुक्त इमरान पुलिस मुठभेड़ में बुलंदशहर में पहले भी घायल हो चुका है।

<u>उक्त घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था द्वारा 50 हजार रूपये पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई है।</u>

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास का विवरण-

<u>इमरान उर्फ लंगडा पुत्र अलीम निवासी मुहोली थाना गुलावठी बुलन्दशहर</u>

1.मु0अ0स0 781/2020 धारा 394/411 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 789/2020धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0स0 792/2020 धारा 25/27 आयुद्ध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. शाहरुख पुत्र इश्तकार निवासी मुहोली थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर(घायल)

1.मु0अ0स0 781/2020 धारा 394/411 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 789/2020धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0स0 791/2020 धारा 25/27 आयुद्ध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3. अकील पुत्र सगीर निवासी मुहोली थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर(घायल)

1.मु0अ0स0 781/2020 धारा 394/411 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 789/2020धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0स0 790/2020 धारा 25/27 आयुद्ध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 आइसर ट्रेक्टर

2. 03 अवैध तमंचे 03 खोखा कारतूस व 6 जिंदा कारतूस

2-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाईल फोन, एक मो0सा0 यामाहा एफजेडएस, एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 20.11.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तो 1. सौरभ शर्मा पुत्र पप्पन निवासी सेक्टर 68 गढ़ी चौखंडी हरी हलवाई के सामने थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर 2. गुरमीत सागर सिंह पुत्र तिलकराज उर्फ ब्रह्मसिंह निवासी ग्राम गाजीपुर सी-91 ईस्ट दिल्ली थाना गाजीपुर वर्तमान पता कोर्ट मोड़ बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा को सहारा कट सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 07 मोबाईल फोन विभिन्न कंपनियों के, एक मो0सा0 यामाहा एफजेएस रजि0 नं0 डीएल 4एस एएक्स 9871, एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद किये गये है ।

अभियक्तों का विवरण-

1. सौरभ शर्मा पुत्र पप्पन नि0 सै0 68 गढ़ी चौखंडी हरी हलवाई के सामने थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2. गुरमीत सागर सिंह पुत्र तिलकराज उर्फ ब्रह्मसिंह निवासी ग्राम गाजीपुर सी-91 ईस्ट दिल्ली थाना गाजीपुर वर्तमान पता कोर्ट मोड़ बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का विवरण-

<u>अभियुक्त सौरभ</u>

1. मु0अ0सं0 430/17 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर

2 मु0अ0सं0 346/17 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0सं0 803/17 धारा 2/3 गैगेंस्टर एक्ट थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर

4. मु0अ0स0 1283/19 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना फेस-3 नोएडा

5. मु0अ0स0 1323/19 धारा 8/20/27 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-3 नोएडा

6. मु0अ0सं0 902/20 धारा 411/414/482 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

7. मु0अ0सं0 903/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-3 नोएडा

8. मु0अ0सं0 889/20 धारा 380/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

<u>अभियुक्त गुरमीत सिंह सागर</u>

1. मु0अ0सं0 902/20 धारा 411/414/482 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 904/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0सं0 889/20 धारा 380/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 07 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों के

2. एक मो0सा0 यामाहा एफजेडएस रजि0 नं0 डीएल 4 एस ए एक्स 9871 इंजन नं0 21 सी 2022884 चैसिस नम्बर एमइ 121 सी0 2592017041 मय फर्जी नम्बर प्लेट डीएल 4एस एएक्स 6871

3. एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

4. एक अवैध चाकू बरामद

3- थाना जेवर पुलिस द्वारा एक नाबालिग अपहरिता को पाँच घंटे के अन्दर बरामद कर अपहरणकर्ता अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनाँक 20.11.2020 की रात्रि में श्री श्रीचन्द पुत्र श्री नानक निवासी ग्राम थोरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा थाने आकर वादी की पुत्री का अपहरण करके ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी ।

सूचना के आधार पर थाना जेवर पर मु0अ0सं0 542/2020 धारा 363,504 भादवि व 3(2)(VA) SC/ST एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर गोपालगढ टप्पल बार्डर से समय करीब 05.00 बजे अपहरिता को अपहरणकर्ता अभियुक्त के कब्जे से 5 घंटे के अन्दर ही बरामद कर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अपहृता को परिजनों के सुपुर्द किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण-

फिरोज पुत्र अकबर निवासी ग्राम थोरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 542/2020 धारा 363,504 भादवि व 3(2)(VA) SC/ST एक्ट थाना ज़ेवर

4- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.11.2020 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0765/19 धारा 376(डी) (ए) भादवि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र गुरूदक लाल उर्फ प्रेम पाल नि0 मोहल्ला अजीजाबाद कस्बा व थाना औरंगा बाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता हनुमान मूर्ती के पास ग्राम बरौला थाना सै0 49 नोएडा को ग्राम बरौला से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण-

अरुण कुमार पुत्र गुरूदक लाल उर्फ प्रेम पाल नि0 मोहल्ला अजीजाबाद कस्बा व थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता हनुमान मूर्ती के पास ग्राम बरौला थाना सै049 नोएडा

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0765/19 धारा 376(डी)(ए) भादवि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

5- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 04 अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से एक स्विफ्ट कार डीएल 1 एल सी 671104 मय फर्जी नम्बर प्लेट,अवैध चाकू व 09 चोरी की बैटरी भिन्न भिन्न मार्का बरामद।

दिनांक 21.11.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तो 1.अमन पुत्र अबरार 2. इस्तकबाल पुत्र अय्यूब 3. अरसद पुत्र नसीम 4. साबिर पुत्र जलालूद्दीन को छलैरा की तरफ से आने वाला रास्ता 49 चौराहा से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा लिया गया है । अभियुक्तो के कब्जे से 04 चाकू व एक स्विफ्ट कार मय फर्जी नम्बर प्लेट व 09 चोरी की बैटरी भिन्न भिन्न मार्का बरामद हुई है। अभियुक्तो द्वारा आसपास के जनपदो के सेक्टरो व सडक के किनारे खडी गाडियों से बोनट खोलकर बैटरियों को चोरी कर अपने साथी सलीम को खोडा में बनी आटो पार्किंग में ले जाकर बेच देते थे।

अभियुक्तों का विवरण-

1. अमन पुत्र अबरार निवासी 25 फुटा रोड गली न0 2 बहरामपुर थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. इस्तकबाल पुत्र अय्यूब नि0खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद
3. अरसद पुत्र नसीम नि0 मण्डावली जे जे कैम्प थाना मण्डावली दिल्ली
4. साबिर पुत्र जलालूद्दीन नि0 25 फुटा रोड गली न0 2 बहरामपुर थाना विजयनगर गाजियाबाद
5. एक बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स 718/2020 धारा 382/3/411 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 717/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर बनाम साबिर
3. मु0अ0स0 716/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर बनाम अरसद
4. मु0अ0स0 715/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर बनाम इस्तकबाल
5. मु0अ0स0 714/2020 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर बनाम अमन

6\. मु0अ0स0 684/2020 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

6\. मु0अ0स0 1064/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

7\. मु0अ0स0 1265/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

8. मु0अ0स0 1274/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

9. मु0अ0स0 1285/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

10. मु0अ0स0 1362/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

11. मु0अ0स0 1855/2020 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. एक स्विफ्ट कार न0 डीएल 1 एलसी 6711 मय फर्जी नम्बर प्लेट

2. 04 चाकू

3. 09 चोरी की बैटरी भिन्न भिन्न मार्का

6- थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध रूप से अपमिश्रित शराब बनाकर तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक जरी कैन जिसमे 25 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब 180 पव्वे अंग्रेजी शराब, व 175 पव्वे खाली, 900 ग्राम यूरिया आदि बरामद ।

दिनांक 20.11.2020 को थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाते हुए अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ भूरा पुत्र लखपत थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को जावल ऋषि आश्रम रोड कस्बा जेवर पर माता मन्दिर के पास झाडियों से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 180 पव्वे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो, 175 पव्वे खाली, 900 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर व प्लास्टिक की जरी कैन में जिसमे करीब 25 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है ।

अभियुक्त का विवरण-

चन्द्रशेखर उर्फ भूरा पुत्र लखपत थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0 543/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर ।

2. मु0अ0स0 499/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0स0 464/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

4. मु0अ0स0 363/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

5. मु0अ0स0 610/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

6. मु0अ0स0 37/2018 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

7. मु0अ0स0 699/2017 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

8. मु0अ0स0 396/2017 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

9. मु0अ0स0 267/2017 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

10. मु0अ0स0 234/2015 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी विवरण-

1. 180 पव्वे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो

2. 175 पव्वे खाली

3. 900 ग्राम यूरिया

4. 200 ग्राम नौसादर

5.प्लास्टिक की जरी कैन में करीब 25 लीटर अपमिश्रित अवैध शराब

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की संपूर्ण पुलिस लगातार एक्शन में, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर जनपद में संचालित किया गया सघन चेकिंग अभियान।

दिनांक 21.11.2020 को चलाए गए अभियान के दौरान 1312 व्यक्तियों का मांस्क ना लगाने पर किया गया चालान ₹131200 का समन शुल्क किया गया वसूल

जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की संपूर्ण पुलिस लगातार एक्शन में है और पुलिस के द्वारा निरंतर अभियान संचालित करते हुए मांस्क ना लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित न करने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके। पुलिस कमिश्नर

आलोक सिंह के निर्देश पर दिनांक 21.11.2020 को_चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा मांस्क का प्रयोग न करने पर 1312 व्यक्तियों का चालान करते हुए ₹131200 का शमन शुल्क वसूल किया गया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी जनपद वासियों को आगाह करते हुए उनका आह्वान किया है कि सभी नागरिक घर से बाहर निकलने पर मांस्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें अन्यथा की स्थिति में पुलिस के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।